आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा

स्टाम्प अपील वाद संख्या–128 / 2022

श्रीमती किरण देवी

बनाम्

राज्य सरकार व अन्य

उपस्थिति / प्रतिनिधित्व

वादी के तरफ से :–विद्वान अधिवक्ता, मनोज रंजन सिन्हा, राजीव रंजन वर्मा एवं अतुल कुमार।

प्रतिवादी के तरफ से :–विद्वान सरकारी अधिवक्ता, सारण।

आदेश

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
04.10.2024 23.10.2024	प्रस्तुत अपीलवाद सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा के मुद्रांक वाद सं०–99 / 2019 में दिनांक–04.01.2020 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। उक्त आदेश द्वारा सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा ने अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक–11.05.2017 को अवर निबंधन कार्यालय, मढ़ौरा में निबंधित विक्रय–पत्र के दस्तावेज सं०–1147, मौजा–पटराही, राजस्व थाना सं०–262, खाता सं०–119, सर्वे / खेसरा सं०–335, कुल रकबा–02 कट्ठा, यानि 7.438 डी० में कमी मुद्रांक की राशि–5,29,980 / – एवं उस पर अधिरोपित जुर्माना की राशि–52,998 / – अर्थात कुल–5,82,978 / –का मुद्रांक जमा करने का आदेश दिया गया है। सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C No-1115/2021 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–22.07.2022 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है। " It is needless to state that in case such an appeal is filed by the petitioner within a period of four weeks from today. The same shall	

WEB COPY NOT OFFICIAL

be considered on merits by the appellate authority, without being impeded by the issue of limitation and appropriate orders shall be passed, in accordance with law, after hearing the petitioner within a period of 12 weeks, thereafter."

उक्त आदेश के आलोक में अपीलकर्त्ता द्वारा धारा–**47A (4)** के प्रावधान के तहत इस स्तर पर वाद दायर किया गया है।

वाद को अधिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग कर अपीलकर्त्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सविस्तार सुना। **Bihar Stamp & Court fees Manual** की धारा–**47 A (6)** के तहत अपीलकर्त्ता द्वारा **deficit amount** का **50%** राशि–**2,91,489**/– रूपया की जगह मुद्रांक शुल्क शीर्ष में ₹ 2,64,990/– एवं निबंधन शुल्क शीर्ष में ₹ 26,499/– यानि कुल ₹ 2,91,489/– रूपया का चालान साक्ष्य अपीलकर्त्ता द्वारा संलग्न किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्त्ता के पक्ष में प्रश्नगत भूमि दिनांक–11.05.2017 को निबंधित केवाला सं०–1147 के माध्यम से रेश्मा देवी, पति भोला शर्मा ने निष्पादित किया है, जो उस समय के हिसाब से भुगतान किया गया है। जमीन खरीद कर मकान का निर्माण कराया गया एवं जातिगत पेशा के अनुरूप लकड़ी का पलंग, कुर्सी वगैरह का निर्माण करके बिक्री करते रहें हैं। निम्न न्यायालय के समक्ष श्री अमर कुमार शर्मा, पिता स्व० भोला शर्मा के आवेदन के आधार पर वाद प्रारंभ किया गया। इस संबंध में सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा के कार्यालय से दिनांक–10.10.2019 को कमी मद्रांक शुल्क की सुनवाई हेतु सूचना प्राप्त हुआ, जो दस्तावेज निबंधन की तिथि से दो वर्ष के बाद का है। अवर निबंधक, मढ़ौरा, सारण द्वारा अपीलकर्त्ता के खरीदगी 2 कट्ठा भूमि का मूल्यांकन ₹ 89 लाख 45 हजार रूपया निर्धारित किया गया, अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण, छपरा के द्वारा नोटिस दिया गया। अंचल अधिकारी, अमनौर के द्वारा जॉच किये

WEB COPY NOT OFFICIAL

जाने या अवर निबंधक, मढौरा के स्तर से इसकी कोई भी सूचना अपीलकर्त्ता को नहीं दिया गया। सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमण्डल, छपरा के द्वारा अंचल अधिकारी एवं अवर निबंधक के माध्यम से प्राप्त गलत प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है। उक्त के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा के प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाए तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार प्रस्तुत मामले में अपीलकर्त्ता के संबंधी श्री अमर कुमार शर्मा द्वारा अवर निबंधक, मढ़ौरा, जिला–सारण के समक्ष दिनांक–16.07.2018 को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक–11.05.2017 को निष्पादित कराये गये दस्तावेज में राजस्व की क्षति की गयी है। उक्त के आलोक में प्रभारी अवर निबंधक, मढ़ौरा, सारण के पत्रांक–183/नि०, दिनांक–01.11.2018 द्वारा अंचल अधिकारी, अमनौर, सारण से भूमि की जाँच कर प्रतिवेदन की माँग की गयी थी। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, अमनौर द्वारा प्रश्नगत भूमि के स्थल जाँचोपरांत पत्रांक–511 दिनांक–10.06.2019 द्वारा प्रतिवेदित है कि मौजा–पटराहीं खुर्द, थाना सं०–262, खाता सं०–119, सर्वे सं०–335, रकबा–0–2–0–0 (दो कट्ठा) पर आवासीय दो मंजिला मकान है, जो N.H-772 पर अवस्थित है। यह भूमि व्यवसायिक श्रेणी में है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि उक्त से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध निबंधन के दो वर्ष के भीतर ही कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी थी। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि Indian Stamp Act, 1899 की धारा–47 A (3) के अन्तर्गत दो वर्ष के भीतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है। उक्त के आलोक में विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि निम्न न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर समुचित विचारोपरांत ही आदेश पारित किया गया है, जिसे यथावत् रखा जा सकता है।

अपीलकर्त्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान

WEB COPY NOT OFFICIAL

सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अवर निबंधक, मढ़ौरा के द्वारा प्रश्नगत भूमि की जॉच अंचल अधिकारी, अमनौर से कराया गया। तदालोक में प्राप्त जाँच प्रतिवदेन के आधार पर प्रश्नगत दस्तावेज को भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 (A) के अधीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा को प्रेषित किया गया। सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल ने अपीलकर्त्ता को नोटिस करते हुए अपना आदेश पारित किया है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा ने अपने पत्रांक–606, दिनांक–11.09.2019, पत्रांक 644, दिनांक–10.10.2019, पत्रांक–657, दिनांक–19.10.2019, पत्रांक–690, दिनांक–08.11.2019, पत्रांक–702, दिनांक–16.11.2019, पत्रांक–720, दिनांक–30.11.2019 एवं पत्रांक–773, दिनांक–28.12.2019 से अपीलकर्त्ता को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया है एवं अपीलकर्त्ता उपस्थित भी हुए है। साथ ही निम्न न्यायालय के आदेश में यह स्पष्ट अंकित है किः–

निर्धारित तिथि–24.09.2019 को पक्षकार के प्रतिनिधि के रूप में उनके विद्वान अधिवक्ता बजरिये वकालतनामा उपस्थित हुए। उनके द्वारा जवाब दाखिल करने हेतु बार–बार सिर्फ समय की मॉग की जाती रही। परंतु कई बार समय देने के बावजूद स्वंय पक्षकार या उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी किसी प्रकार का साक्ष्य या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पक्षकार के पास कोई ठोस साक्ष्य या अभिलेख उपलब्ध नहीं है अथवा उनको कोई उत्तर नहीं देना है। अतः राजस्व हित में एक पक्षीय निर्णय लेते हुए उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के आधार पर निबंधन पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण द्वारा प्रतिवेदित मूल्य रू0 89,45,000/– पर स्वीकृति दी जाती है। इससे स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता को उक्त वाद की जानकारी पूर्व से थी। इसलिए उनका यह दावा मान्य नहीं हो सकता है कि उनको सूचना दिये बगैर आदेश पारित किया गया है। जहां तक अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के दावे का प्रश्न है कि प्रश्नगत भूमि पर

WEB COPY NOT OFFICIAL

जमीन खरीद किये जाने के उपरांत आवासीय मकान बनाया गया है, के संबंध में *"अंचल अधिकारी, अमनौर, सारण के पत्रांक–511 दिनांक–10.06.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा पटराही खुर्द, थाना नं0–262, खाता नं०–119, सर्वे संख्या–335 भूमि की जॉच की गई। उक्त भूमि का रकबा–02 कट्ठा पर आवासीय दो मंजिला मकान है। जो एन०.एच०–722 पर अवस्थित है। यह भूमि व्यवसायिक श्रेणी में है।"* जिस आधार पर सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा ने अपना आदेश पारित किया है।

अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन एवम् विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा रखे गये तथ्य से स्पष्ट होता है कि पक्षकार द्वारा जान–बूझकर तथ्य को छुपाया गया है, जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 27–**"The consideration 1[if any,], and all other facts and circumstance affecting the chargeability of any instrument with duty with which it is chargeable, shall be fully and truly set forth therein".** के अनुकूल नहीं है।

बिहार गजट (असाधारण) 25 जून 1997 के ***S.O.*** 140 दिनांक–25 जून 1997 के द्वारा समाहर्त्ता की शक्ति सहायक निबंधन महानिरीक्षक में निहित है एवं अंकित है कि–***"In exercise of powers conferred by section 2, sub-section 9 (b) of the Indian Stamp Act, 1899 (Act II 1899), The State Government confers the power of Collector to the inspector of Registration Officers exercisable subject to general or special direction of the Secretary, Registration department for the districts of their respective Jurisdiction from the date of notification in official gazette."***

उपर्युक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो का पालन करते हुए मुखर आदेश पारित किया गया है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए उसे **यथावत्** रखा जाता है।

तदनुसार **प्रस्तुत अपीलवाद को अस्वीकृत** किया जाता है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

	आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL